संख्या – 1177/1–10–2009–12(34)/2003टीसी–2

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महामायानगर एवं आजमगढ़।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2009

विषयः वर्ष 2008–09 में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1086/दै0आपदा–समायोजन, दिनांक 16 मार्च, 2009 (महामायानगर) एवं पत्र संख्या–550/आपदा, दिनांक 18 मार्च, 2009 (आजमगढ़) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु क्रय किये गये कम्बल के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित कुल धनराशि रु0 13,63,440/– (रुपये तेरह लाख तिरसठ हजार चार सौ चालीस मात्र) अग्रलिखित प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

| क्रमांक | जनपद का नाम | आवंटित धनराशि (रु0 में) |
|---|---|---|
| 1. | महामायानगर | 290200 |
| 2. | आजमगढ़ | 1073240 |
| | योग : | 1363440 |

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा निधि से व्यय 42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. कम्बल मद में व्यय हुई धनराशि [illegible] संख्या 1693/1–11–2005–रा0 11, दिनांक [illegible] 2013 [illegible] आपदा का प्रकार ओलावृष्टि के अन्तर्गत [illegible] 14 [illegible] अलग–अलग कालम में कम्बल पर व्यय हुई धनराशि का अंकित किया जाय।

4. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को **दिनांक 05 सितम्बर, 2009 तक** अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahat.up.nic.in/rahat.2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. शासन द्वारा क्रय किये गये कम्बल के भुगतान हेतु आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें **दिनांक 15 सितम्बर, 2009 तक शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।**

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को दिनांक 30 अगस्त, 2009 तक उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एस0 एन0 शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या -1177 (1)/1-10-2009-12(34)/2003टीसी-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/ महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, अलीगढ़ एवं आजमगढ़।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, महामायानगर एवं आजमगढ़।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. व्यवस्थापक, श्री गांधी आश्रम, खादी ग्रामोद्योग भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।